

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

CIRCULAR

**Sub: Applying for reimbursement of briefcase/ladies handbag through
"Railway Board Stationery Management System".**

Railway Board Stationery Management System, a software module for placing indents of Stationery Items is effectively functioning w.e.f. 1.11.2023.

2. A new feature "Briefcase reimbursement" for keeping records of briefcase /Ladies handbag, is being introduced in the said portal. This feature will enable the entitled officials (Pay Level - 7 and above) to fill up the online requisition form and upload the bill for claiming briefcase/ladies handbag reimbursement.

3. Eligible officials/officers may login to Railway Board Stationery Management System Portal through URL <https://ireps.gov.in/stn/logon> for applying for office bag/briefcase/ladies handbag reimbursement. After submitting the request, a printout of the same is required to be submitted to the stationery branch with the original bill in physical form and also through e-office. This feature will be operational from 15.07.2024.

Signed by Adesh Kumar

Date: 10-07-2024 17:39:17

Under Reason: Approved (Stationery)

Railway Board

Tele/Fax No. 011-47845592

No. 2020/Stationery/25/7

New Delhi, Dated 09.07.2024

To,

1. All employees of Railway Board.
2. C&IS Dte for uploading on Secretary Branch's Portal on Railnet.
3. Notice Board.

Room No.139, 1st Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi – 110001

कमरा सं. 139, पहली मंजिल, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली - 110001

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

परिपत्र

विषय: "रेलवे बोर्ड लेखन-सामग्री प्रबंधन प्रणाली" के माध्यम से ब्रीफकेस/लेडीज़ हैंडबैग की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना।

रेलवे बोर्ड लेखन-सामग्री प्रबंधन प्रणाली, लेखन-सामग्री की मदों हेतु मांगपत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल दिनांक 01.11.2023 से प्रभावी है।

2. उक्त पोर्टल में ब्रीफकेस/लेडीज़ हैंडबैग का रिकॉर्ड रखने के लिए "ब्रीफकेस प्रतिपूर्ति" नामक एक नई सुविधा जोड़ी जा रही है। यह सुविधा पात्र पदधारियों (वेतन स्तर -7 और उससे ऊपर) को ऑनलाइन मांग-पत्र भरने और ब्रीफकेस/लेडीज़ हैंडबैग प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु बिल अपलोड करने में सक्षम बनाएगी।

3. पात्र पदधारी/अधिकारी ऑफिस बैग/ब्रीफकेस/लेडीज़ हैंडबैग की प्रतिपूर्ति के लिए यूआरएल <https://ireps.gov.in/stn/logon> के माध्यम से रेलवे बोर्ड लेखन-सामग्री प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। मांग प्रस्तुत करने के पश्चात् इसका एक प्रिंटआउट लेखन-सामग्री शाखा को मूल बिल के साथ वास्तविक रूप से और ई-ऑफिस के माध्यम से भी प्रस्तुत करें। यह सुविधा दिनांक 15.07.2024 से प्रभावी होगी।

Signed by Adesh Kumar

Date: 10-07-2024 17:41:21

Reason: (आदेश कुमार)
Approved

अवर सचिव (लेखन सामग्री)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष/फैक्स नं. 011-47845592

सं. 2020/स्टेशनरी/25/7

नई दिल्ली, दिनांक 09.07.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

- रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।
- सीएंडआईएस निदेशालय को रेलनेट पर सचिव शाखा के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।